# राज्यों की कार्यकारिणी (भाग-2)

**मुख्यमंत्री और राज्य मंत्रिपरिषद:**

- मुख्यमंत्री राज्य मंत्रिपरिषद का प्रमुख होता है।
- मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाती है।
- अन्य मंत्रियों को मुख्यमंत्री की सलाह पर राज्यपाल द्वारा नियुक्त किया जाता है।
- किसी भी व्यक्ति को मंत्री नियुक्त किया जा सकता है लेकिन उसे इस तरह की नियुक्ति के छह महीने के भीतर विधायिका का सदस्य बनना चाहिए।
- मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से राज्य की विधान सभा के लिए उत्तरदायी है, लेकिन व्यक्तिगत रूप से राज्यपाल के प्रति उत्तरदायी है।
- राज्यपाल और उनके मंत्रियों के बीच का संबंध राष्ट्रपति और उनके मंत्रियों के बीच समान है.

**महाधिवक्ता:**

- प्रत्येक राज्य में एक महाधिवक्ता है, जो भारत के अटॉर्नी-जनरल के समान अधिकारी है और राज्य के लिए समान कार्य करता है।
- वह राज्य के राज्यपाल द्वारा नियुक्त किया जाता है और राज्यपाल की खुशी के दौरान पद धारण करता है।
- केवल एक व्यक्ति जो उच्च न्यायालय का न्यायाधीश बनने के लिए योग्य है, उसे एडवोकेट-जनरल नियुक्त किया जा सकता है। उन्हें ऐसा पारिश्रमिक प्राप्त होता है जैसा राज्यपाल निर्धारित कर सकते हैं।
- उसे बोलने का अधिकार है और कार्यवाही में भाग लेने का अधिकार है, लेकिन राज्य के विधानमंडल के सदनों में मतदान करने का अधिकार नहीं है (सन्दर्भ.: अनुच्छेद. 177).

**राज्य विधानमंडल:**

- कुछ राज्यों में द्विवार्षिक विधानमंडल (दो सदन वाले) हैं। सात सदन वाले दो राज्य आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, बिहार, कर्नाटक, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश और जम्मू और कश्मीर हैं।
- शेष राज्यों में, विधानमंडल एकमत है और केवल विधान सभा है।
- विधान परिषद के निर्माण या उन्मूलन के लिए, राज्य की विधान सभा को संसद के अधिनियम के बाद विशेष बहुमत से प्रस्ताव पारित करना चाहिए। (सन्दर्भ.: अनुच्छेद. 169).
- विधान परिषद का आकार भिन्न हो सकता है, लेकिन इसकी सदस्यता विधान सभा की सदस्यता के 1/3 से अधिक नहीं होनी चाहिए, लेकिन 40 से कम नहीं.
- विधान परिषद आंशिक रूप से नामांकित और आंशिक रूप से निर्वाचित निकाय है।
- विधान परिषद का चुनाव अप्रत्यक्ष और एकल हस्तांतरणीय मत द्वारा आनुपातिक प्रतिनिधित्व के अनुसार होता है।

- परिषद के कुल सदस्यों में से 5/6 अप्रत्यक्ष रूप से चुने जाते हैं और 1/6 राज्यपाल द्वारा नामित होते हैं।
- परिषद के कुल सदस्यों में से 1/3 को स्थानीय निकायों जैसे नगर पालिकाओं, जिला बोर्डों द्वारा चुना जाता है।
- 1/12 राज्य में रहने वाले तीन साल के स्थायी स्नातकों द्वारा चुना जाता है।
- 1/12 माध्यमिक विद्यालयों या उच्च शिक्षण संस्थान के शिक्षकों द्वारा चुना जाता है.
- 1/3 विधान सभा के सदस्यों द्वारा उन व्यक्तियों में से चुना जाता है जो विधानसभा के सदस्य नहीं हैं।
- शेष को राज्यपाल द्वारा साहित्य, विज्ञान, कला, सह-प्रतिपादक आंदोलन और सामाजिक सेवा में विशेषज्ञता प्राप्त व्यक्तियों द्वारा नामित किया जाता है।
- न्यायालय किसी भी मामले में राज्यपाल के नामांकन की प्रतिध्वनि या स्वामित्व पर सवाल नहीं उठा सकता है.
- प्रत्येक राज्य की विधान सभा का चुनाव सीधे क्षेत्रीय क्षेत्रों से वयस्क मताधिकार के आधार पर किया जाता है।
- विधानसभा के सदस्यों की संख्या 500 से अधिक नहीं हो सकती है और न ही 60 से कम हो सकती है।
- मिजोरम और गोवा में विधानसभा में केवल 40 सदस्य हैं। जबकि सिक्किम में विधानसभा के केवल 32 सदस्य हैं।
- राज्यपाल एंग्लो-इंडियन समुदाय के एक सदस्य को विधानसभा में नामित कर सकता है (सन्दर्भ.: अनुच्छेद. 333).
- विधान सभा की अवधि पांच वर्ष है। राज्यपाल द्वारा इसे पांच साल से जल्द ही भंग किया जा सकता है।
- राष्ट्रपति द्वारा आपातकाल की उद्घोषणा के मामले में संसद द्वारा पाँच वर्ष की अवधि को एक वर्ष से अधिक नहीं बढ़ाया जा सकता है। (सन्दर्भ.: अनुच्छेद. 172 (1).
- विधान परिषद राज्य सभा (राज्य सभा) की तरह एक स्थायी निकाय है।
- विधान परिषद भंग नहीं होती है। एक-तिहाई विधान परिषद के सदस्य हर दूसरे वर्ष के अंत में सेवानिवृत्त होते हैं (सन्दर्भ.: अनुच्छेद. 172(2)).
- एक विधान सभा के पास इसके अध्यक्ष और प्रतिनिधि अध्यक्ष होते हैं और एक विधान परिषद में इसके अध्यक्ष और उपाध्यक्ष होते हैं, और उनसे संबंधित प्रावधान केंद्रीय संसद के संबंधित अधिकारियों से संबंधित होते हैं।.

**राज्य विधानमंडल की सदस्यता के लिए योग्यताएं निम्नलिखित हैं:**

- भारत का नागरिक होना चाहिए;
- विधान सभा के लिए, पच्चीस वर्ष से कम नहीं और विधान परिषद के लिए, तीस वर्ष से कम नहीं;
- संसद द्वारा बनाए गए या किसी भी कानून के तहत, उस ओर निर्धारित अन्य योग्यताएं होनी चाहिए (सन्दर्भ.: अनुच्छेद. 173).

**राज्यपाल के वीटो की शक्ति:**

- जब विधानमंडल के सदनों द्वारा अनुमोदन के बाद एक विधेयक राज्यपाल के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है, तो राज्यपाल कर सकता है:
- विधेयक पर अपनी सहमति की घोषणा, इस मामले में यह एक ही बार में कानून बन जाएगा।
- घोषणा करें कि वह विधेयक पर अपनी सहमति व्यक्त करता है, ऐसा विधेयक कानून बनने में विफल है।
- घोषणा करें कि वह बिल (मनी बिल के अलावा) के लिए अपनी सहमति जताता है और बिल एक संदेश के साथ वापस आ जाता है।
- राष्ट्रपति के विचार के लिए एक विधेयक आरक्षित करें। इस तरह के भण्डारण अनिवार्य है जहाँ प्रश्न में कानून उच्च न्यायालय की शक्तियों से अलग होगा.

**राज्यपाल की प्रख्यापित अध्यादेशों की शक्ति**

- राज्यपाल अध्यादेश का केवल तभी प्रचार कर सकता है, जब विधानमंडल, या उसके दोनों सदन सत्र में न हों।
- इसे मंत्रिपरिषद की सहायता और सलाह के साथ प्रयोग किया जाना चाहिए।
- अध्यादेश को राज्य विधानमंडल के समक्ष रखा जाना चाहिए जब यह आश्वस्त हो।
- एक अध्यादेश फिर से विधानसभा की तारीख से 6 सप्ताह के बाद प्रभाव डालना बंद कर देता है, जब तक कि उस विधानमंडल द्वारा पहले अस्वीकृत नहीं किया गया हो।
- राज्यपाल स्वयं किसी भी समय अध्यादेश को वापस लेने के लिए सक्षम है।
- राज्यपाल की अध्यादेश-प्रेरक शक्ति का दायरा सूची II और सातवीं अनुसूची के विषयों तक सीमित है।.
- राज्यपाल राष्ट्रपति के निर्देशों के साथ अध्यादेश का प्रचार नहीं कर सकता है:
- समान प्रावधानों वाले विधेयक को राष्ट्रपति की पिछली मंजूरी की आवश्यकता होगी.